बनाम

अप्रार्थीः– तहसीलदार तिंवरी।

उपस्थित –

प्रार्थी की ओर से – अधिवक्ता श्री रामकिशोर औझा

अप्रार्थी की ओर से– सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

–::निर्णय::–

दिनांकः– 19/1/21

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि– प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 1807 रकबा 05 बिस्वा गै.मु. ढाणी व खसरा नम्बर 1808 रकबा 31 बीघा 05 बिस्वा ग्राम चेराई व खसरा नम्बर 948 रकबा 7 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 1312 रकबा 96 बीघा 16 बिस्वा ग्राम मीनों की ढाणी, व खसरा नम्बर 1955 रकबा 112 बीघा 16 बिस्वा ग्राम अर्जुनदेवनगर, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम उतमाराम पि. फुसाराम दर्ज है लेकिन प्रार्थी का वास्तविक नाम अशोक पि. फुसाराम है। राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज करते वक्त राजस्व कर्मचारियों की भूलवश उतमाराम पि. फुसाराम दर्ज कर दिया गया जो गलत है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि में अशोक पि. फुसाराम नाम दर्ज है उक्त राजस्व रेकर्ड में नाम त्रुटि केवल राजस्व कर्मचारियों की सद्भावित भूल के कारण हुई है जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। राजस्व रेकर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थी को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राजस्व रेकर्ड व अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी के नाम में एकरूपता नहीं होने की वजह से प्रार्थी अपनी भूमि पर भूमि सुधार कार्य करने ऋण लेने में भयंकर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1807 रकबा 05 बिस्वा गै.मु.

Scanned with CamScanner

ढाणी व खसरा नम्बर 1808 रकबा 31 बीघा 05 बिस्वा ग्राम चेराई व खसरा नम्बर 948 रकबा 7 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 1312 रकबा 96 बीघा 16 बिस्वा ग्राम मीनों की ढाणी, व खसरा नम्बर 1955 रकबा 112 बीघा 16 बिस्वा ग्राम अर्जुनदेवनगर, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम उतमाराम पि. फुसाराम के स्थान पर अशोक पि. फुसाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

यह है कि उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अप्रार्थी द्वारा राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम अशोक पि. फुसाराम दर्ज करने की अनुशंसा की।

यह है कि बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम अशोक पि. फुसाराम है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1807 रकबा 05 बिस्वा गै.मु. ढाणी व खसरा नम्बर 1808 रकबा 31 बीघा 05 बिस्वा ग्राम चेराई व खसरा नम्बर 948 रकवा 7 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 1312 रकबा 96 बीघा 16 बिस्वा ग्राम मीनों की ढाणी, व खसरा नम्बर 1955 रकबा 112 बीघा 16 बिस्वा ग्राम अर्जुनदेवनगर, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम उतमाराम पि. फुसाराम के स्थान पर वास्तविक नाम अशोक पि. फुसाराम दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 19/1/24 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner